



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1947 (श०)
(सं० पटना 203) पटना, मंगलवार, 17 फरवरी 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)

अधिसूचना
12 फरवरी 2026

सं० जनगणना कोषांग (अधिसूचना)—12/02-2025-26ज०को०/रा०,—भारत का राजपत्र असाधारण भाग—II—खण्ड—3—उप—खण्ड (ii) सं०—325, दिनांक—22.01.2026 में प्रकाशित केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना का.आ.—353(अ) दिनांक 22.01.2026 जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित है, को राज्य के गजट में पुनः प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सी०के० अनिल,
प्रधान सचिव।

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

का.आ. 353(अ).— केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा—8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग—2 खण्ड—3 उपखण्ड—(ii) तारीख—9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 120(अ) तारीख 7 जनवरी, 2020 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अनुदेश देती है कि वे सभी जनगणना अधिकारी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना—2027 के संबंध में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पुछें, अर्थात् :—

1.	भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)
2.	जनगणना मकान नंबर
3.	जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
4.	जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
5.	जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
6.	जनगणना मकान के उपयोग
7.	जनगणना मकान की हालत
8.	परिवार क्रमांक
9.	परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
10.	परिवार के मुखिया का नाम
11.	परिवार के मुखिया का लिंग
12.	क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
13.	मकान के स्वामित्व की स्थिति
14.	परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
15.	परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या
16.	पेय जल का मुख्य स्रोत
17.	पेय जल स्रोत की उपलब्धता
18.	प्रकाश का मुख्य स्रोत
19.	शौचालय की सुलभता
20.	शौचालय का प्रकार
21.	गंदे पानी की निकासी
22.	स्नानगृह की उपलब्धता
23.	रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
24.	खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
25.	रेडियो/ट्रांजिस्टर
26.	टेलीविजन
27.	इंटरनेट सुविधा
28.	लैपटॉप/कंप्यूटर
29.	टेलीफोन/मोबाईल फोन/स्मार्टफोन
30.	साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
31.	कार/जीप/वैन
32.	परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज
33.	मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)

फा.सं. 9/8/2025-सीडी (सीइएन)

मृत्युंजय कुमार नारायण,

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 203-571+10-डी0टी0पी01

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>